विज्ञापन संख्या :–01/2022

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या– **GE/08/163/2022-23/2835, दिनांक–03.11.2022** के आलोक में जिला में संचालित 08 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्त्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक–26.11.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है :–

Sl.	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - भाषा	**3**	3	0	0	0	0	**3**
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - गणित	**3**	1	0	0	1	1	**3**
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - विज्ञान	**3**	2	0	0	1	0	**3**
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - सा० विज्ञान	**0**	0	0	0	0	0	**0**
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - शारीरिक शिक्षा	**5**	2	1	0	1	1	**5**

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में अनिवार्य रुप से दिनांक–26.11.2022 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. **चयन हेतु अहर्त्ता एवं निर्धारित परिलब्धि :–**

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्त्ता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. **शैक्षणिक अहर्त्ता :–** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका, यथा क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्त्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखण्ड से पास किया होना	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु 15,840/– प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रु. की वार्षिक वेतन
2	गणित शिक्षिका		
3	विज्ञान शिक्षिका		
4	सामाजिक विज्ञान शिक्षिका		
5	शिक्षिका–शारीरिक शिक्षा		

		अनिवार्य है। 2. **प्रशैक्षणिक अहर्त्ता** :– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/Degree in physical Education अनिवार्य होगा। 3. **शिक्षक पात्रता परीक्षा** :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। शारीरिक शिक्षिका हेतु (TET) अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा (TET) की वैधता आजीवन मान्य किया गया है।	वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।

चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं :–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा :–

   i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत होगी :–

Sl. No	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category)

ii. अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

5. **आवेदन** :– सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि–26.11.2022 के संध्या 05:00 तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा (SSA) के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्त्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा–निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट **"godda.nic.in"** पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा–निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिले के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेत उपलब्ध रहेगी।
7. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–
   i. 23 x 10 से.मी. का स्वपता लिखा हुआ दो लिफाफा।
   ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाय।
   iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
9. अभ्यर्थियों के चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।
11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रुप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गोड्डा।